अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं0– 304/2016-17

वाद का प्रकारः– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
3.9.2021	**Covid-19** के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तानान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक 3.10.2021 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
3.10.2021	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह–पठित –श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू– अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0– 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म जंगल झाड़) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:– मौजा केरकी खुर्द थाना नं0 246 खाता सं0 25 प्लॉट सं0 — रकबा 7.48 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल झाड़ी अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 II के पृष्ट सं0 75 पर जमाबंदी रैयत छठु सिंह पिता जंगी सिंह — के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 20.10.2021 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

20.10.2021 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा निर्गत पर्चा क्रमांक- 183271/533296 समर्पित किया गया है। इस संबध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 21.01.2022 को उपस्थापित करें।

20/10/21

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

21.01.2022 अभिलेख उपस्थापित।

NH-98 के कार्यों में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 22.02.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

22.02.2022 अभिलेख उपस्थापित।

NH-98 के कार्यों में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 22.03.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

22.03.2022 अभिलेख उपस्थापित।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 26.4.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

26.4.2022 अभिलेख उपस्थापित।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका।
अभिलेख दिनांक 26.06.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

26.6.2022	अभिलेख उपस्थापित। NH-98 के कार्यों में व्यस्तता के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक 28.8.2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।
28.8.2022	अभिलेख उपस्थापित। सभी राजस्व उपनिरीक्षकों का हस्तनान्तरण होने के कारण जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। अभिलेख दिनांक 27.10.2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।
27.10.2022	अभिलेख उपस्थापित। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक 30.12.2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।
30.12.2022	अभिलेख उपस्थापित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा [illegible] खुर्द मौजा नं० 296 खाता सं०– 25 प्लॉट सं० 522/3, 488/1 etc. रकबा 7.48 ए. किस्म जंगल झाड़ी खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत / वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि उक्त प्लॉट का किस्म जंगल झाड़ी दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार छोटु सिंह पिता [illegible] सिंह — के नाम से पंजी–II में कायम जमाबंदी सं० 75/II को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षके के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी–II में कायम जमाबंदी सं० 75/II को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छतरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर। 30/12/22 अंचल अधिकारी छत्तरपुर।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– दहु सिंह पिता - अंगी सिंह

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या II पृष्ठ सं. 75 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
केरनीखुर्द	296	25	–	7.48

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :– दर्ज नहीं है। पंजी II के अनुसार वर्ष 1979 से सरकारी रसीद निर्गत है।

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरमजरूआ मालिक जिसका खतियानी किस्म जंगलझाड़ी दर्ज है।

5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– दर्ज नहीं है।

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– –

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू–बंदोबस्ती) :– मूल जमाबंदी में जमाबंदी सृजन का आधार दर्ज नहीं है। पुरानी पंजी II में दिनांक 02.02.1979 को प्रथम रसीद संख्या 058300 निर्गत करने की प्रविष्टि है।

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी) :– हल्का मुख्यालय में उपलब्ध खतियान में खाता - 25 प्लॉट - ~~522, 488~~ 487, 522, 488 का किस्म जंगलझाड़ी दर्ज है। मांग पंजी II में जमाबंदी दहु सिंह पिता - अंगी सिंह के नाम से पंजी II के पृष्ठ संख्या 75/II पर दर्ज है। जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	053800	02.02.79	1978-79
2	118835	31.03.79	–
3	284852	02.06.81	1981-82
4	278383	13.03.83	1982-83

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – जिला- पलामू , अंचल- छतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकवा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
छट्टू सिंह S/o. - जंगी सिंह	फेरकी खुर्द	218	25	482, 483, 484, 485, 486, 481, 487	7.48	गैरमजरूआ मालिक	जंगल झाड़ी

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :– टांड

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– दर्ज नहीं है। पंजी-II के अनुसार वर्ष 1979 से [illegible] निर्गत है।

5. उक्त जामबंदी पंजी–II में दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– –

6. नामान्तरण / दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– –

7. अवैध जमाँबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा :–
(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एंव पारित अदेशानुसार) :–
(ग) अवैध भू–बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :–

जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100 / –रूपये से कम या इससे अधिक) :– –

अवैध जामाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) दाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

हल्का मुख्यालय उपलब्ध पंजी से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- मांगकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- जमींदारी रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। पंजी-II के अनुसार वर्ष 1979 से सरकारी रसीद निर्गत है।

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-
उपरोक्त भूमि की मूल जमाबंदी में जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। वर्तमान में मांग हृदू सिंह पिता जंगी सिंह के नाम से पंजी II के पेज नं० 75 पर दर्ज है। यह भूमि गत सर्वे के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाता की है जिसका किस्म जंगल झाड़ है। यदि मान्य हो तो क्रमांक 2 पर वर्णित भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-
क्रमांक -2 पर वर्णित भूमि का प्रारंभिक जमाबंदी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। यह भूमि गत सर्वे के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाता की है जिसका किस्म जंगल झाड़ी है। वर्तमान में मांग हृदू सिंह पिता - जंगी सिंह के नाम से पंजी II के पेज नं 75/II पर दर्ज है। यदि मान्य हो तो क्रमांक 2 पर वर्णित भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि-सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा., छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।	उपायुक्त, पलामू।

कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0 304 / 20...... (अन्तर्गत धारा **4(h). BLR Act, 1950**

सूचना

बनाम छट्ठू सिंह S/O जपि सिंह

ग्राम केरकीखुर्द थाना - छतरपुर

जिला - पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा केरकीखुर्द थाना नं0 297 खाता सं0 25 खेसरा नं0 — रकबा 4.48 से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0 V के पंजी–II भाग II के पृष्ठ 75 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 20.10.21 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदें, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबदी के संबध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

अंचल अधिकारी,

कार्यालय अंचल अधिकारी छत्तरपुर, पलामू

Digitally signed by MODASAR NAZAR MANSURI
Date: 2023.01.07 22:09:07 +05:30
Location: 192.168.65.5